भारत में षिक्षा आयोगों की अनुषंसाएँ एवं क्रियान्वयन तथा कमजोर वर्ग पर प्रभाव –उच्च षिक्षा के संदर्भ में

डॉ.दत्तात्रय पालीवाल
रिसर्च एसोसिएट
सामुदायिक चिकित्सा विभाग
आर.डी.गार्डी चिकित्सा महाविद्यालय, उज्जैन

प्रस्तावना

शिक्षा का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। मानव जन्म से मृत्यु पर्यन्त किसी न किसी रूप में शिक्षा ग्रहण करता रहता है।

स्वामी दयानन्द के अनुसार–''बच्चा माँ के गर्भ से शिक्षा प्राप्त करना प्रारम्भ कर देता है।'' जीवन की बगिया की सुन्दरता शिक्षा के बिना कुरूप ही दिखाई देती है।

स्वामी विवेकानन्द के अनुसार–''शिक्षा नर से नारायण बनाने की क्षमता पैदा करती है। इस प्रकार शिक्षा मनुष्य में पहले से विद्यमान दैवी पूर्णता का प्रत्यक्षीकरण है। वे आगे कहते हैं, हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो हमारा आचरण बनाए, हमारे मानसिक बल को बढाए, बौद्धिकता का विकास करे और जिसके व्द्रारा मानव आत्मनिर्भर हो जाए।''[1] तात्पर्य यह है कि शिक्षा शब्द इतना गहरा है जिसे शब्दों में अंकित करना बहुत कठिन है। इसकी महत्ता को अनुभव किया जा सकता है, अभिव्यक्त नही।

मनुष्य अकेला नही रह सकता। समूह बनाकर रहना तथा मिल–जुलकर कार्य करना उसका स्वभाव है। इसी अर्थ में उसे एक सामाजिक प्राणी कहा गया है।[2] समाज में रहकर ही वह अपना विकास करता है। तथा व्यक्ति–समाज एवं शिक्षा की छत्र–छाया में अपने आप को अधिक प्राणवान, गतिशील व सुसंस्कृत बनाता है। इसलिये मनुष्य में जो पूर्णता आती है, उसके विकास का माध्यम शिक्षा ही है। मानव जीवन में कई उतार–चढ़ाव व विषम परिस्थितियों में अनुकुल वातावरण बनाने एवं सही मार्गदर्शन देने में शिक्षा अहम भूमिका निभाती है। इसलिये हम जब शिक्षा की आवश्यकता के बारे में बात करते है तो वह किसी न किसी रूप में व्यक्ति व समाज से सम्बन्धित होती है। इस प्रकार शिक्षा का सम्बन्ध मनुष्य के जीवन से होता है। जिसके द्वारा व्यक्ति ज्ञानार्जन करके समाज का योग्य नागरिक बनने हेतु प्राप्त ज्ञान का उचित प्रयोग करता है।

इस प्रकार शिक्षा ही एकमात्र ऐसी अद्वितीय शक्ति है जिसके द्वारा शिक्षाशास्त्री, अन्वेषक, शोधकर्ता, वैज्ञानिक, विधिवेत्ता, समाजशास्त्री, राजनीतिज्ञ, प्रबन्धक, तकनीशियन और साहित्यकार आदि बनते हैं। किसी व्यक्ति कें व्यक्तित्व का परिचय उसकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर आसानी से किया जा सकता है। शिक्षा ही बहुमूल्य प्रतिभा के रूप में जीवन के अन्त तक साथ निभाती है। जो जीवन की अन्तिम सांस तक प्राणी के मन–मस्तिष्क में विद्यमान रहती है। इसके विषय में उचित ही कहा है कि–

डॉ.दत्तात्रय पालीवाल,सामुदायिक चिकित्सा विभाग ,आर.डी.गार्डी चिकित्सा,महाविद्यालय,उज्जैन

शिक्षा पूंजी अमर है, नहीं विभाजीत होय।
चोर चुरा सकते नहीं, बांट सके ना कोय।।

भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने हाल में दिये गये एक साक्षात्कार में कहा है कि– "किसी देश की प्रगति को परखने का एक तरीका उसके लोगों की जिन्दगी देखना है। क्या वे शिक्षित हैं? सुपोषित हैं? क्या उन्हें अभिव्यक्ति और साहित्यिक सृजन की आजादी मिली हुई है? क्या उन्हें रचनात्मकता के अवसर मिले

हुए हैं? उक्त अर्थशास्त्री का यह वक्तव्य कुल मिलाकर शिक्षा की ओर ही इशारा कर रहे है। शिक्षा ही अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। दुनिया को देखने समझने का नजरिया शिक्षा के जरिये ही संभव है।'' [3] इस प्रकार सामाजिक दृष्टि से भी कहा जा सकता है कि–''बिना पढ़े मनुष्य पषु के समान है। षिक्षा द्वारा ही मानवता एवं पषुता में अन्तर किया जा सकता है। व्यक्ति के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिये षिक्षा न केवल अपरिहार्य है बल्कि सामाजिक दायित्व के निर्वहन हेतु अनिवार्य भी है।''[4]

प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉ. जयन्ती घोष के अनुसार –''बेहतर शिक्षा प्राप्त करने के बाद एक व्यक्ति के लिए अधिकतम मुनाफा उसकी नौकरी होता है, लेकिन बेहतर शिक्षा का समाज पर जो सकारात्मक प्रभाव पड़ता है वह एक नौकरी की तुलना में कई गुना अधिक फायदेमन्द होता है।''[5]

अतः शिक्षा व्यक्ति की अन्तर्निहित शक्तियों एवं व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करने, समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करने, सामाजिक गतिविधियों में परिवर्तन लाने तथा व्यक्ति के समाजीकरण करने हेतु जीवनभर चलने वाली निरन्तर प्रक्रिया है। जिससे व्यक्ति का चहुँमुखी विकास होता है।

उच्च शिक्षा की अवधारणा–

षिक्षा– व्यक्ति जीवन भर मुख्यतः दो प्रकार से ग्रहण करता है– औपचारिक शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा द्वारा। अनौपचारिक शिक्षा व्यक्ति को परिवार, धार्मिक ग्रन्थों एंव देवालयों, सामाजिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं आदि से प्राप्त होती है। औपचारिक शिक्षा स्कूल, महाविद्यालयों या विश्वविद्यालयों में दी जाती है। जिसके अन्तर्गत स्कूली शिक्षा में प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा तथा उच्च शिक्षा के अन्तर्गत स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा षामिल है। जिसमें कला, वाणिज्य और विज्ञान विषयों की शिक्षा दी जाती है। वहीं विशेष शिक्षा के अन्तर्गत चिकित्सकीय, प्रौद्योगिकी और अन्य प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की जाती है।

उच्च शिक्षा का अर्थ है सामान्य रूप से सबको दी जानेवाली षिक्षा से ऊपर किसी विषेष विषय या विषयों में विषेष, विषद तथा षूक्ष्म षिक्षा। यह षिक्षा के उस स्तर का नाम है जो विष्वविद्यालयों, व्यावसायिक विष्वविद्यालयों, कम्यूनिटी महाविष्वविद्यालयों, लिबरल आर्ट कालेजों एवं प्रौद्योगिकी संस्थानों आदि के द्वारा दी जाती है। प्राथमिक एवं माध्यमिक के बाद यह षिक्षा का तृतीय स्तर है जो प्रायः ऐच्छिक होता है। इसके अन्तर्गत स्नातक, परास्नातक एवं व्यावसायिक षिक्षा एवं प्रषिक्षण आदि आते है।[6] उच्च शिक्षा समाज की गतिविधियों, प्रशासन, व्यापार, रक्षा, स्वास्थ, संचार, कला, साहित्य के लिए मानव संसाधन सुलभ कराती है। इस प्रकार उच्च शिक्षा द्वारा विद्याार्थियों को उनकी रूचि, रूझान, योग्यता और आवश्यकतानुसार किसी उत्पाद कार्य–जैसे खेती, किसी व्यवसाय, अध्यापन, वकालत अन्य किसी लघु उद्योग जैसे –कढ़ाई, बुनाई आदि अथवा बड़े उद्योगों को चलाने के लिए अभियंता, प्रशासक आदि का प्रशिक्षण देकर तैयार किया जाता है।

उच्च शिक्षा द्वारा व्यक्ति का विकास किया जाता है, व्यक्ति का विकास करना ही उसका केन्द्र बिन्दु होता है। उसे समाज का एक उपयोगी सदस्य बनाकर सम्मानपूर्वक अपना जीवन–यापन करने तथा उसके आर्थिक विकास में शिक्षा अहम भूमिका अदा करती है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में उच्च शिक्षा का विषेश महत्व है।

वर्तमान समय में भारत का उच्च षिक्षा तंत्र विष्व का सबसे बड़ा उच्च षिक्षा तंत्र है। विगत 50 वर्षो में देष के विष्वविद्यालयों की संख्या में 11.6 गुना, महाविद्यालयों में 12.5 गुना विद्यार्थियों की संख्या में 60 गुना और षिक्षकों की संख्या में 25 गुना वृद्वि हुई है।[7] सभी को उच्च षिक्षा के समान अवसर सुलभ कराने की नीति के अन्तर्गत सम्पूर्ण देष में महाविद्यालयों एवं विष्वविद्यालयों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्वि हुई है। तथा इस बात को भी व्यापक मान्यता मिल रही है कि उच्च षिक्षा को समाज के सभी वर्गों के लिए अधिक सुलभ बनाना जरूरी है।[8]

वर्तमान में सभी विकासशील देश औद्योगीकरण की ओर बढ़ रहे हैं और अपने बढ़ते औद्योगीकरण के लिए कुशल व व्यावसायिक योग्यता तथा क्षमता प्राप्त व्यक्तियों की जरूरत इन देशों को है। और इस जरूरत की पूर्ति उनके अपने देशवासी ही पूर्ण कर सकते हैं। तथा देश की उत्पादन क्षमता का विकास कर सकते है। यह एक सर्वमान्य सत्य है की, किसी भी देश की प्रगति उसकी उत्पादकता, योग्यता पर निर्भर

होती है। लोग जितने ज्यादा उत्पादन कार्य में लगेंगे देश उतना ही ज्यादा सम्पन्न होगा। उसी से देश का आर्थिक विकास होगा।

विभिन्न कालो में शिक्षा–

प्राचीन काल–प्राचीन काल की शिक्षा पद्धति में पूर्व दीक्षा काल के अन्तर्गत माता–पिता के द्वारा बचपन में दी जाने वाली अनौपचारिक गृहशिक्षा सम्मिलित थी। उपनयन संस्कार के पष्चात शिक्षक के घर पर शिक्षा दी जाती थी। शिक्षक के घर में पूर्व शिक्षा क्रम बनाये रखने का काल था। जिसमें विशेषतः उच्च शिक्षा सम्मिलित थी। इसका काल 3 या 4 वर्ष का होता था और ये समय जीवन के पहले 12 वर्षों में सम्मिलित होते थे। अन्त में विद्यार्थी किसी विषय या किसी निश्चित समस्या को विशिष्ट अध्ययन हेतु ले सकता था। तब वह उस विषय के किसी ख्याति प्राप्त शिक्षक के पास जाता और उनके मार्गदर्शन में शिक्षण प्राप्त करता था।

विद्यार्थी जीवन प्रायः 6 से 8 वर्ष की आयु में प्रारम्भ होता था। ब्रह्मचर्य आश्रम में लगभग 12 सें 15 वर्ष व्यतीत किए जाते थे। साधारणतः विद्यार्थी गुरुकुल या आश्रमवासी ही होता था। गुरु और गुरुकुल की सेवा में रहने के साथ–साथ विद्यार्थी विद्याध्ययन में अपना समय व्यतीत करता था।

वैदिक काल –वैदिक काल में तक्षशिला, नालंदा, विक्रम–शिला, मिथिला, उज्जैयिनी और काशी शिक्षा के महत्वपूर्ण केन्द्र थे। इस काल में दी जाने वाली शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान ही नहीं थी, साथ ही भावी जीवन की चुनौतियों का सामना करने तथा संघर्षो के साथ लड़ने के लिए तैयार करने वाली शिक्षा थी। यह शिक्षा व्यावहारिक ज्ञान तथा प्रयोगों और अनुभवों के आधार पर प्रदान की जाती थी। शिक्षा में भेदभाव नहीं बरता जाता था।

उत्तर वैदिक काल –उत्तर वैदिक काल की सामाजिक तथा धार्मिक व्यवस्था में धीरे–धीरे कार्मकाण्ड का आगमन होता गया और साथ ही शिक्षा व्यवस्था में भी परिर्वतन आते गये। यूरोपियनों के आगमन के साथ आधुनिक काल की शुरूआत हुई ऐसा माना जाता है। भारत में यूरोपीय सुंस्कृति और शिक्षा का आयात पुर्तगालियों के प्रयत्नों से हुआ। पुर्तगाली मिशनरियों ने गोवा में शालाएं व कॉलेज खोले। वर्ष 1575 में पुर्तगालियों द्वारा प्रथम जेसुएट कॉलेज गोवा में प्रारम्भ किया गया। इसी प्रकार वर्ष 1580 में पुर्तगालियों के क्षेत्रो में अन्य कॉलेज भी खोले गये। उनसे प्रभावित होकर अकबर ने भी आगरा में एक कॉलेज बनवाया। 17 वीं शताब्दी में पुर्तगालियों के पतन के बाद उनके शिक्षा सम्बन्धी प्रयत्न भी समाप्त हो गए।

ब्रिटीशकाल –भारत में इग्लैण्ड की ईस्ट इण्डिया कम्पनी का प्रभाव 1670 से शुरू हुआ। वर्ष 1715 में और 1718 में कोलकाता में निःशुल्क विद्यालय प्रांरभ किए गए। 1835 से 1853 तक वाइसरॉय लार्ड मैकाले के शासन काल में शिक्षा नीति का क्रियान्वयन हुआ। 18 वीं सदी के अंत में तथा 19 वीं सदी के प्रांरभ में शिक्षा क्षेत्र में संघर्ष प्रांरभ हुआ। बंगाल में नए स्कूल और कॉलेज खुले। अंग्रेजी शिक्षा का विस्तार होता गया। इस युग में उच्च शिक्षा क्षेत्र में भी काफी परिवर्तन आए, अनेक कॉलेज और विश्वविद्यालय खुले। वर्ष 1882 में शिक्षा कमीशन बना तथा पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। वर्ष 1885 में भारतीय कॉंग्रेस की स्थापना के फलस्वरूप राष्ट्रीय आन्दोलन ने शिक्षा प्रसार में वृद्धि की। वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रारंभ हुआ।[9]

इस प्रकार उन्नीसवीं शताब्दी में राज्य का शिक्षा पर नियन्त्रण हो गया। राज्य के प्रधान कर्तव्यों के अन्तर्गत शिक्षा की भी गिनती की जाने लगी और सुरक्षा, भोजन तथा निवास के साथ–साथ जनसाधारण के लिये प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का कर्तव्य माना जाने लगा।

भारतीय उच्च शिक्षा का इतिहास काफी पुराना है। जिसमें 20 वीं सदी का प्रारम्भ महत्वपूर्ण रहा है। बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद् की स्थापना हुई। प्रथम विश्व युद्ध के उपरान्त 1917 में भारत सरकार ने लिड्स विश्वविद्यालय के वाईस चान्सलर डॉ. माईकल सैडलर की अध्यक्षता में प्रधानता कलकत्ता विश्वविद्यालय की अवस्था तथा जांच कर उसकी आवश्यकताओं को सुलझाने के लिये एक कमीशन की नियुक्ति की। उस कमीशन के सुझावों ने विश्वविद्यालय का स्वरूप निर्धारित किया, और तत्कालीन विश्वविद्यालयों का भी पुनर्गठन हुआ। अन्वेषण एवं अनुसन्धान को भी प्रोत्साहन मिला। पाठ्यक्रम एवं शिक्षा प्रणाली में भी सुधार हुए। महाविद्यालयों को विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध करने से उनके प्रबन्धन और शिक्षा

स्तर में प्रगति हुई। इस युग में महाविद्यालयों की दशाएँ सुधरी तथा शैक्षणिक शुल्क से आय बढ़ी। सन 1925 में इंटर युनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना की गई थी जिसका बाद में भारतीय नाम भारतीय विश्वविद्यालय संघ पड़ा। इस संस्था के अन्तर्गत सभी विश्वविद्यालयों के बीच षैक्षिक, सांस्कृतिक और संबन्धित क्षेत्रों के बारे में सूचना का आदान–प्रदान किया जाने लगा था।

स्वतन्त्रता के पश्चात् –सन 1947 में जब भारत स्वतन्त्र हुआ उस समय देश में लगभग 85 प्रतिषत लोग अशिक्षित थे। उस समय शिक्षा की सुविधाएँ बहुत सीमित थी। प्राथमिक शिक्षा का लाभ केवल लगभग 30 प्रतिशत बालक ही उठा पाते थे। माध्यमिक शिक्षा, कॉलेज और विश्वविद्यालय की शिक्षा से बहुत कम छात्र लाभान्वित होते थे। स्वतन्त्रता के तुरन्त बाद भारत सरकार ने शिक्षा की ओर ध्यान दिया और शिक्षा के प्रसार हेतु कुछ ठोस कदम उठाने का प्रयास भी किया। भारत सरकार ने शिक्षा में संख्यात्मक व गुणात्मक सुधार हेतु तीन कमीशनों की व्यवस्था की और इन तीनों कमीशनों ने शिक्षा के उद्देश्यों पर विषेश रूप से प्रकाश डाला।

भारत में शिक्षा आयोग –अनुषंसाएँ एवं क्रियान्वयन

स्वतंत्र भारत में इस बात की आवष्यकता अनुभव की गयी कि देष की विश्वविद्यालयीन षिक्षा की पुनर्रचना की जाय ताकि वह राष्ट्रिय एवं सांस्कृतिक पुनरूत्थान में सहायक हो, साथ ही वैज्ञानिक, तकनीकी एवं अन्य प्रकार के मानवषक्ति का विकास सुनिष्चित करे। राधाकृष्ण आयोग या विश्वविद्यालय षिक्षा आयोग भारत सरकार व्द्रारा वर्ष 1949 के नवम्बर माह में डॉ. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालयीन षिक्षा की अवस्था पर रिपोर्ट देने के लिये नियुक्त किया गया था।[10] वर्ष 1953 में माध्यमिक शिक्षा आयोग या **मुदालियार आयोग** की स्थापना की गयी थी। तथा वर्ष 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की स्थापना की गई जो केन्द्रीय सरकार का एक उपक्रम है जिसके व्द्रारा सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को अनुदान प्रदान किया जाता है। इस आयोग व्द्रारा विश्वविद्यालयों को मान्यता भी प्रदान की जाती है।

वर्ष 1964 में भारत की केन्द्रीय सरकार ने डॉ. दौलतसिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली षिक्षा प्रणाली को नया आकार एवं नयी दिषा देने के उद्देष्य से एक आयोग का गठन किया। इसे भारतीय शिक्षा आयोग अर्थात कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है।[11] आयोग ने समान स्कूल प्रणाली लागु करने की बात कही तथा षिक्षा के व्यवसायीकरण पर बल दिया।

इस प्रकार तिनों आयोगों की अनुषंषाओं के आधार पर वर्ष 1968 में षिक्षा नीति पर एक प्रस्ताव प्रकाषित किया गया। जिसमें राष्ट्रिय विकास के प्रति वचनबद्व, चरित्रवान तथा कार्यकुषल युवक–युवतियों को तैयार करने का लक्ष्य रखा गया। वर्ष 1986 में नई षिक्षा नीति लागू की गई जो अब तक चल रही है। इस बीच राष्ट्रिय षिक्षा नीति की समीक्षा के लिये वर्ष 1990 में आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समीक्षा समिति, तथा वर्ष 1993 में प्रो. यषपाल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया।[12]

उपरोक्त शिक्षा कमीशनों द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर भारत शासन द्वारा शासकीय व अशासकीय संगठनों के माध्यम से सम्पूर्ण देश में शिक्षा को बढ़ावा देने तथा षिक्षा का गुणात्मक विकास करने हेतु शासकीय एंव अशासकीय स्तर के स्कूल तथा महाविद्यालयों की स्थापना की गई। महाविद्यालयीन षिक्षा जिसमें स्नातक– स्नातकोत्तर स्तर के कला, वाणिज्य, विज्ञान, विधि, तथा तकनीकी, प्रौद्योगिकी, चिकित्सकीय शिक्षा एवं अन्य प्रकार के शिक्षा महाविद्यालय षामिल है। ।

वहीं विभिन्न पंचवार्षिक योजनाओं के द्वारा शालेय शिक्षा के साथ–साथ महाविद्यालयीन शिक्षा के लिये धन का भी प्रावधान सतत् रुप से किया जाने लगा। जिसके परिणामस्वरुप आज सम्पूर्ण देश में शिक्षा के क्षेत्र में उत्तरोत्तर प्रगति दिखलाई दे रही है।

उच्च शिक्षा एवं निजीकरण

भारत में आर्थिक उदारीकरण एवं आर्थिक सुधारों का सूत्रपात 24 जुलाई 1991 को नई औद्योगिक नीति लागू करने के साथ हुआ था। जिसमें उदारीकरण, भूमण्डलिकरण एंव निजीकरण की नीति को

अपनाया गया है। तद्नुसार विगत 23 वर्षों से देश की लगभग सभी समस्याओं का निदान वैश्वीकरण, उदारीकरण एंव निजीकरण में खोजने के प्रयास किये जा रहे हैं।

निजीकरण– जिसका मुख्य उददे्श्य संक्षेप में सार्वजनिक उपक्रमों को तथा सार्वजनिक सेवाओं को पूर्णतः या अंशतः निजी हाथों में सौंपना है। सार्वजनिक सेवाओं से तात्पर्य सामाजिक, आर्थिक अधोसरंचना अर्थात् जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं शिक्षा, स्वास्थ, रोटी, कपड़ा, मकान एवं यातायात, दूरसंचार ऊर्जा इत्यादि है।[13] निजीकरण शिक्षा, उद्योग, व्यवसाय और कंपनियों के क्षेत्र में किया जा सकता है।

सूचना और संचार की तकनीक में आए परिवर्तनों ने विश्वव्यापार और अर्थव्यवस्था से सम्बन्धित क्षेत्रों को प्रभावित किया है। जिससे शनैः–शनैः वैश्वीकरण एवं उदारीकरण की नीति ने निजीकरण को अत्यधिक बढ़ावा देना प्रारम्भ कर दिया है। जिसके कारण समाज के प्रत्येक क्षेत्र में निजीकरण ने हस्तक्षेप करना प्रारम्भ कर दिया है। जिससे शिक्षा विशेषकर उच्च शिक्षा भी अछूती नहीं है।

विगत दशकों में शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार हुआ है। प्रौद्योगिकी एवं कम्प्युटर शिक्षा का जाल फैल रहा है। उद्योगपतियों की मांग है कि शिक्षा का विशेष रूप से विश्वविद्यालयीन शिक्षा का पूर्णरूपेण निजीकरण कर दिया जाए। इस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियाँ निरन्तर बढ़ रही है। जिसके कारण उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजीकरण को प्राथमिकता दी जाने लगी है। आज पूँजीवादी शक्तियाँ शासन पर पूरी तरह से हावी हो रही है।

भारतीय संविधान की धारा 45 के तहत 14 साल की उम्र तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना भारत सरकार का दायित्व है, इसलिए निजीकरण की बात प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर लागू नहीं हो सकती। किन्तु वर्तमान में प्राथमिक, माध्यमिक से लेकर महाविद्यालयीन उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा तक विभिन्न विषयों की शिक्षा में निजी क्षेत्र कि शैक्षणिक संस्थाओं की संख्या बढ़ रही है। वही शैक्षणिक क्षेत्र में उनका प्रभाव भी निरन्तर बढ़ रहा है।

उच्च शिक्षा में निजी शैक्षणिक संस्थाओं की भागीदारी की बात को लेकर भारत सरकार कितनी गहनता से सोच रही है यह उस बिल से पता चलता है जो वर्ष 1995 में संसद में प्रस्तुत प्रारूप के अनुसार निजी विश्वविद्यालयों को बनाने हेतु पेश किया गया था। जिसे उसी वर्ष राज्य सभा ने भी पास कर दिया था।

निजी शैक्षणिक संस्थाऐं दानदाताओं पर मुख्य रूप से निर्भर होने के कारण छात्र–छात्राओं पर फीस का अनुचित भार पड़ सकता है। निजीकरण के क्षेत्र में न्यून निवेश पर विद्यार्थी लागत भी न्यून होने के कारण शिक्षकों को उचित वेतन प्राप्त नहीं होगा तथा जिससे कम शैक्षणिक योग्यताओं वाले शिक्षकों की भर्ती होगी। लागत खर्च को कम करने एवं ज्यादा मुनाफा कमाने के परिणाम स्वरूप सस्ती और निम्न स्तर की शिक्षा का प्रचलन बढ़ेगा। जिससे कला संकाय की शिक्षा प्रभावित होगी।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मक गतिविधियों के चलते पूंजीपति वर्ग अथवा आर्थिक रूप से सम्पन्न वर्ग रूचि लेने लगा है, क्योंकि उन्हें महाविद्यालयीन शिक्षा लाभ का सौदा लगने लगा है। अतः उच्च शिक्षा के निजीकरण के सभी पहलूओं को ध्यान में रखते हुए इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि निजीकरण की समस्या बहुमुखी समस्या है, क्योंकि इसका सम्बन्ध राष्ट्र के लाखों छात्र–छात्राओं से है।

उच्च शिक्षा के निजीकरण का कमजोर वर्ग पर प्रभाव–

वर्तमान में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ एक और सम्पन्न वर्ग के बच्चे अच्छे महाविद्यालयों में पढ़कर अपना भविष्य सुधार रहे हैं, वहीं समाज की उपेक्षित निम्न जातियों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने से उनके बच्चे अच्छे महाविद्यालयों में अध्ययन करने से वंचित हो रहे हैं। वही दूसरी ओर उच्च षिक्षा से सम्बन्धित अषासकीय तकनीकी एवं चिकित्सा महाविद्यालयों में कमजोर एवं दलित वर्ग के लिये आरक्षित स्थानों को भी षनैः–षनैः समाप्त कर उच्च वर्ग के छात्रों को अधिक शुल्क एवं अधिक डोनेशन लेकर प्रवेष दिया जाने लगा है। जिससे वे अपने आपको उपेक्षित महसूस कर रहे है।

निजी शिक्षण संस्थान षिक्षा को एक व्यवसाय का रूप मानकर उसी अनुरूप अभिभावकों से मनमाना षुल्क एवं भारी भरकम राषी अन्य मदों में वसुलते है। क्योंकि निजी क्षेत्र की शैक्षणिक संस्थाओं के लिए शिक्षा की सहज उपलब्धता की तुलना में लाभप्रदता अधिक महत्वपूर्ण है। जिसके परिणामस्वरूप षिक्षा महंगी होती जा रही है।

वर्तमान में निजी शिक्षण संस्थाओं का प्रभाव शासकीय शिक्षा संस्थानों से कई गुना अधिक है। वही निजी शिक्षण संस्थाओं की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसी अवस्था में ग्रामीण एवं पिछड़े इलाकों में जहॉ भयंकर गरीबी व्याप्त है वहॉ निजी क्षेत्र की संस्थाओं का उच्च षिक्षा के क्षेत्र में सहभागीता से ग्रामीण एवं पिछड़े जनजातिय क्षेत्रों के बच्चों को कितना लाभ मिलेगा यह विचारणीय तथ्य है।

इस प्रकार वैश्वीकरण एवं निजीकरण के अन्तर्गत राज्य की भूमिका न्यूनतम होती जा रही है। जो वस्तुतः पूंजीवाद का आधुनिक युग में तार्किक विस्तार है। यह कल्याणकारी राज्य के पक्ष में नहीं है। शिक्षा के निजीकरण का परिणाम होगा **'महंगी शिक्षा'** जिसे गरीब छात्र–छात्राएँ पाने से वंचित होते जायेंगे। इस प्रकार वैश्वीकरण ने उच्च शिक्षा के समक्ष गम्भीर संकट की स्थिति उत्पन्न कर दी है तथा निजीकरण की नीति ने निजी शिक्षण संस्थाओं पर से केन्द्र व राज्य सरकार के नियन्त्रण को कम कर दिया है। अतः निजीकरण से सम्बन्धित शोध अध्ययन भी यही बताते हैं कि सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्वहन में निजी क्षेत्र सरकार का विकल्प नहीं हो सकते।

भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री. के. आर. नारायणन् ने 25 जनवरी 2002 को गणतंत्र दिवस की पूर्वसंध्या पर राष्ट्र के नाम दिये सन्देश में निजीकरण, उदारीकरण, भूमण्डलीकरण की नीति की आलोचनात्मक चेतावनी देते हुए कहा था कि'' बहुत लम्बे समय से सताए गए धैर्यवान लोगों का प्रकोप एकदम भयंकर रूप धारण कर सकता है यदि निजीकरण, उदारीकरण एवं भूमण्डलीकरण की त्रिमार्गीय यातायात लाईन में भारत के कमजोर वर्गों के लिये सुरक्षित पैदल–'**पार पथ**' उपलब्ध कराया नहीं जाता।''

उन्होने देश के आर्थिक विकास के साथ क्षेत्रीय एवं सामाजिक असमानताओं की ओर संकेत करते हुए सावधान किया था कि "समाज में कई प्रकार की उथल–पुथल का कारण समाज में निम्नतम् वर्गों की उपेक्षा हो सकता है। जिसका असन्तोष हिंसा का रूप धारण कर सकता है। अतः हमें जनसाधारण के जीवन पर, उदारीकरण के कारण पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों को दूर करने के तरीके एवं उपाय खोजना होंगे।''[14]

अतः शिक्षा के निजीकरण का अर्थ होगा देश की विशाल जनसमूह को दी जाने वाली शिक्षा को महंगा करना जो समाज के कमजोर वर्ग की आर्थिक क्षमता से बाहर होगी। फीस आदि न जुटाने के कारण कमजोर वर्ग के छात्र–छात्राओं को प्रवेश नहीं मिल पाएगा। क्योंकि उनके अभिभावको में विश्वविद्यालयीन शिक्षा का भार वहन करने की अधिक क्षमता नहीं होगी। जिससे उनका उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिनिधित्व और भी कम हो जायेगा। तथा दुसरी ओर षिक्षा भी अमीरों और उच्च वर्ग तक सीमित हो जायेगी। इससे देष में अमीरी–गरीबी की खाई बढ़ेगी वही उच्च–नीच की भावनाऐं पुनः स्थापित होगी।

अतः निजीकरण के नाम पर गुणवत्ता प्रधान शिक्षा को पाने से गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोगों को वंचित करने का अर्थ होगा राष्ट्र की एक बहुत बड़ी शक्ति को बेकार बना देना। इससे समाज में एक ओर अकर्मण्यता और अराजकता फैलेगी; वही दूसरी ओर कई प्रकार की विकृतियों का जन्म होगा। जो देश के लिये घातक एवं दुर्भाग्यपूर्ण होगा।

निष्कर्ष एवं सुझाव

सन 1986 की षिक्षा नीति के आधार पर प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय खोलने की योजना बनाई गई। जो अभी तक पुरी नही हो पा रही है। नवोदय विद्यालय खुलना निष्चित रूप से षिक्षा के विकास के लिये एक महत्वपूर्ण कदम रहा है। अतः आवष्यकता के अनुरूप ऐसे विद्यालयों की संखा में बढ़ोतरी होनी चाहिये। जिससे समाज के कमजोर वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा साथ ही समुचित विकास के अवसर भी प्राप्त होगे।

उच्च षिक्षा हेतु शासकीय महाविद्यालयों की संख्या में वृद्धि कर उनको गुणवत्ता प्रधान बनाया जाना चाहिये। उनमें निजी महाविद्यालयों के समान सुविधायें भी उपलब्ध कराना भी आवष्यक है। जिससे छात्रों का रूझान शासकीय महाविद्यालयों के प्रति बढ़ेगा। क्योंकि कमजोर एवं पिछड़ी जातियों के छात्र–छात्राओं के पालक निजी महाविद्यालयों में होने वाले शैक्षणिक शुल्क एवं अन्य गतिविधि शुल्क वहन करने में सक्षम नहीं होते है।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी महाविद्यालयों के खोले जाने पर सख्ती से रोक लगाई जाना उचित होगा। जिससे निजी एवं शासकीय महाविद्यालयों की प्रतिस्पर्धात्मक गतिविधियाँ रुक सकेगी। वहीं सभी वर्ग के छात्र बिना भेदभाव के एक साथ अध्ययन कर सकेगे। वही दूसरी ओर कमजोर एवं पिछड़ी जातियों के छात्र–छात्राओं को उच्च षिक्षा की समुचित सुविधाओं का लाभ मिले इस हेतु षिक्षाविदों वैज्ञानिकों की सलाह से व्यवस्थित एवं उच्च स्तरिय षैक्षिक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जाना चाहिये जिसमें समुचित षिक्षा की व्यवस्था होनी चाहीए। उच्च शिक्षा को बढ़ावा देकर शासकीय महाविद्यालयों की स्थापना करने से समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को अधिक लाभ होगा। जिससे वे आसानी से उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपना जीवन–स्तर सुधार सकेगे।

हमारा देश प्रजातान्त्रिक देश है। और प्रजातान्त्रिक व्यवस्था बनाये रखने के लिये, प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया के आधार को मजबूत बनाने के लिये सरकार को ही उच्च शिक्षा का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना चाहिए। अतः कमजोर एवं पिछड़ी जातियों के छात्र–छात्राओं के षैक्षणिक समस्याओं को समाप्त करने हेतु षासन को सुनियोजित प्रयास करने होगे तथा समाज में जनजाग्रती लाना होगी। जिससे उनको षिक्षा के क्षेत्र में उचित अवसर प्राप्त हो सकेगे। और उन्हें समाज के अन्य वर्गों के समकक्ष आने में मदद मिल सकेगी। इसके लिये षासन के साथ–साथ देष के प्रत्येक नागरिक को तन–मन–धन से इन जातियों के उत्थान हेतु सहयोग देना होगा।

सन्दर्भ ग्रन्थसूची –

1. *यादव और यादव – भारतीय आधुनिक समाज में शिक्षा; पृष्ठ क्र.05*
   टंडन पब्लिकेशन, लुधियाना –14008.

2. *डॉ. पाटील अषोक डी– समाजषास्त्र परिचय; पृष्ठ क्र.130*
   डॉ. पाटील एस.एस प्रकाशन–मध्यप्रदेश ग्रन्थ अकादमी, भोपाल 2006

3. *कृष्णकुमार – पत्रिका सहारा समय ,पृष्ठ क्र.03,*
   10 सितम्बर 2005,

4. *दैनिक भास्कर समाचार पत्र– 21 जून 2007, पृष्ठ क्र.08*

5. *व्यौहार प्रभा – रचना (द्विमासिक पत्रिका), पृष्ठ क्र.61–62*
   प्रकाशन–मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा एवं मध्यप्रदेश ग्रन्थ अकादमी, भोपाल–जनवरी 2005

6- *htpp://hi.wikipedia.org/s/66e*

7- *htpp://hi.wikipedia.org/s/66e*

8- *www.knowledgecommission.gov.in*

9. *डॉ. निर्मल रमेष – अक्षरा अवन्तिका, पृष्ठ क्र.62*
   अन्विन्ति प्रकाषन, सीएमजी इन्फोनेट, मुंबई–2005.

10-*htpp://hi.wikipedia.org/s/7cOt*

11-*htpp://hi.wikipedia.org/s/y62*

12-htpp://hi.wikipedia.org/s/7ahl

13. डॉ. राजपालसिंह —पूर्वदेवा (सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका),पृष्ठ क्र.72
प्रकाशक—मध्यप्रदेश दलित साहित्य अकादमी, उज्जैन,
अक्टू 2002—मार्च 2003.

14. डॉ. जितेन्द्र कुमार —रचना (द्विमासिक पत्रिका) ,पृष्ठ क्र. 40
मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा एवं मध्यप्रदेश ग्रन्थ अकादमी, भोपाल; जनवरी— 2005.